*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/सड़क–09–01/2017 130 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक– 08-3-18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण की कुल ₹298.66000 लाख (दो करोड़ अंठानवे लाख छियासठ हजार रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹74.66500 लाख (चौहत्तर लाख छियासठ हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत से प्राप्त निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ– 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹298.66000 लाख (दो करोड़ अंठानवे लाख छियासठ हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 5 के अनुरूप विभागीय राज्यादेश सं०– 129 दिनांक– 08-3-18 के आलोक में तत्काल कुल ₹74.66500 लाख (चौहत्तर लाख छियासठ हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् आवंटित की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, पटना	वार्ड सं०– 32 अंतर्गत जगनपुरा अंडर ब्रिज (एन०एच०– 30) से बादशाही पईन तक आर०सी०सी० बॉक्स नाला का निर्माण कार्य।	298.66000	74.66500	223.99500

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹74.66500 लाख (चौहत्तर लाख छियासठ हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र।

2. आवंटित कुल ₹74.66500 लाख (चौहत्तर लाख छियासठ हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना होंगे**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं

पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. आवंटित राशि ₹74.66500 लाख (चौहत्तर लाख छियासठ हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष– 02–मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष–0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2215021910102,** विषय शीर्ष– 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

6. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि आवंटित की जाती है:–

(i) **योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(vi) यदि Outfall नाला निर्माण की योजना एन०एच० अथवा बाईपास के बगल में ली गयी है अथवा नालों का Outfall Point नहर/पईन है तो ऐसी स्थिति में नगर निकायों द्वारा योजना के कार्यान्वयन से पूर्व संबंधित विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त किया जायेगा।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

08.03.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/सड़क–09–01/2017 130 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–08/-3/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.03.18

सरकार के विशेष सचिव।

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/सड़क–09–01/2017 129 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–08-03-18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण की कुल ₹298.66000 लाख (दो करोड़ अंठानवे लाख छियासठ हजार रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹74.66500 लाख (चौहत्तर लाख छियासठ हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत से प्राप्त निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ– 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹298.66000 लाख (दो करोड़ अंठानवे लाख छियासठ हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 5 के अनुरूप तत्काल कुल ₹74.66500 लाख (चौहत्तर लाख छियासठ हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र की स्वीकृति नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	नगर निगम, पटना	वार्ड सं०– 32 अंतर्गत जगनपुरा अंडर ब्रिज (एन०एच०– 30) से बादशाही पईन तक आर०सी०सी० बॉक्स नाला का निर्माण कार्य।	298.66000	74.66500	223.99500

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹74.66500 लाख (चौहत्तर लाख छियासठ हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

2. स्वीकृत कुल ₹74.66500 लाख (चौहत्तर लाख छियासठ हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना**

होगें, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. स्वीकृत राशि ₹74.66500 लाख (चौहत्तर लाख छियासठ हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष– 02–मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष–0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2215021910102,** विषय शीर्ष– 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

6. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) **योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(vi) यदि Outfall नाला निर्माण की योजना एन०एच० अथवा बाईपास के बगल में ली गयी है अथवा नालों का Outfall Point नहर/पईन है तो ऐसी स्थिति में नगर निकायों द्वारा योजना के कार्यान्वयन से पूर्व संबंधित विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त किया जायेगा।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/सड़क–09–01/2017 के पृष्ठ सं०– 26 /टि० पर दिनांक– 07-03-2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 27 /टि० पर दिनांक– 07-03-2018 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

08.03.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/सड़क–09–01/2017 1829 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–08/-03-18

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.03.18

सरकार के विशेष सचिव।